Cri. Misc. Case No- 466/2022

J. O. Code-UP03339

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा, जनपद- महराजगंज

सरकार	मु. अ. सं. -196/2022
बनाम	धारा-279, 304A भा. द. सं.
नबजान	थाना- फरेन्दा, जिला- महराजगंज

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 457 द. प्र. स. (वाहन अवमुक्ति)</u>

--

दिनाँक- 17-09-2022

प्रार्थी राधेश्याम पुत्र छोटेलाल की ओर से मु अ. सं. -196/2022, सरकार बनाम नबजान, अन्तर्गत धारा-279, 304A भा. द. सं. में निरूद्ध वाहन संख्या-UP 53 DB 9602 (मोटर साईकिल) को रिलीज कराने हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। उसके वाहन को थाने पर निरूद्ध कर दिया गया है। प्रार्थी अपनी विश्वनीय जमानत देने को तैयार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के वाहन उपरोक्त को जमानत पर उन्मुक्त किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है।

थाने से प्राप्त आख्या अनुसार वाहन सं-UP 53 DB 9602, मु. अ. स. -196/2022, धारा-279, 304A भा. द. सं. में थाना स्थानीय निरूद्ध होना कहा है।

अभियोजन अधिकारी द्वारा वाहन संख्या-UP 53 DB 9602, को मु. अ. स. -196/2022, धारा-279, 304A भा. द. स. थाना स्थानीय के उक्त अपराध में वांछित होने एवं संबंधित पेपरों को सत्यापन कराया जाना कहा है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि वाहन संख्या-UP 53 DB 9602, मु अ. सं. -196/2022, धारा-279, 304A भा. द. सं. में थाने पर निरूद्ध है। मामले में संबंधित अभियुक्त की जमानत हो चुकी है एवं वाहन का टेक्निकल मुआइना हो चुका है। वाहन का सत्यापित प्रति पंजीयन प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया, जिसमें संबंधित वाहन का पंजीयन संख्या- UP 53 DB 9602 है, जो आवेदक के नाम पंजीकृत है। संबंधित कागजातों डी. एल. एवं बीमा प्रपत्रों का सत्यापन हो चुका है। आवेदक द्वारा दाखिल दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया अवलोकन से आवेदक प्रश्नगत वाहन का स्वामी है। उक्त वाहन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं माँगा जा रहा है। प्रस्तुत प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। वाहन थाने में पड़ी रहने से उसके यान्त्रिक अवमूल्यन की संभावना है। अतएव माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा <u>सुन्दर भाई देसाई प्रति स्टेट आफ गुजरात 2003 (46) ए. सी. सी. -223</u> के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त एवं पूरे विचारण के दौरान वाहन को अवमुक्त न करने से उसके यांत्रिक अवमूल्यन की संभावन को दृष्टिगत रखते हुए शर्तों पर वाहन स्वामी के पक्ष में अवमुक्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपराध संख्या-196/2022, धारा-279, 304A I. P. C. थाना-फरेन्दा, जनपद महराजगंज में निरूद्ध वाहन संख्या-UP 53 DB 9602, चेसिस नम्बर-MD637AE74J2G52593, इन्जन संख्या-AE7GJ2350685, को उसके पंजीकृत स्वामी द्वारा मु-90,000/- **<u>(नब्बे हजार रुपये)</u>** की एक प्रतिभू एवं इतनी ही धनराशि की व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इस आशय का अन्डर टेकिंग कि वह विचारण के दौरान उक्त वाहन को न ही बेचेंगे और न ही वाहन के रंग रूप में कोई परिवर्तन ही करेंगे और न्यायालय द्वारा या पुलिस द्वारा जब भी वाहन को आहूत किया जाएगा तो आवेदक उसे अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेग, दाखिल करने पर दौरान मुकदमा उनकी सुपुर्दगी में दिया जाता है।

प्रभारी निरीक्षक, थाना-फरेन्दा, उक्त वाहन के पंजीकृत स्वामी की पहचान सुनिश्चित कर उक्त वाहन यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे पंजीकृत स्वामी को सुपुर्दगी में देवें।

(देवेश त्रिपाठी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा,
जनपद- महराजगंज
J. O. Code-UP3339